तुरंत जारी किए जाने के लिए

विश्व बैंक

2005/006/एसएआर

संपर्क-सूत्र: *दिल्ली में:* सुदीप मजूमदार (91 11) 2461-7241
ई-मेल: smozumder@worldbank.org
वाशिंगटन में: बेंजामिन क्रो (202) 473-5105
ई-मेल: bcrow@worldbank.org

विश्व बैंक द्वारा तमिल नाडु में निर्धनता कम करने के लिए 12 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता

राज्य में 1.2 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित होंगे

वाशिंगटन, 12 जुलाई, 2005: राज्य में अधिकारिता दिलाने और निर्धनता में कमी करने वाले एक व्यापक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में तमिल नाडु सरकार की मदद करने के लिए विश्व बैंक ने आज यहां 12 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी। भारत के इस राज्य की जनसंख्या 6.2 करोड़ है, जिसका 20 प्रतिशत निर्धनता में अपनी गुज़र-बसर करता है।

तमिल नाडु अधिकारिता और निर्धनता उन्मूलन परियोजना *(तमिल नाडु इम्पॉवरमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट)* — तमिल में *पुत्त वरू*, जिसका अर्थ है नवजीवन — का उद्देश्य निर्धनों के बीच ऐसे अवसरों का सृजन और सामाजिक पूंजी का निर्माण करना तथा उन परिवर्तनों की रूपरेखा बनाने और इन पर अमल करने में स्वयं निर्धन समुदायों को शामिल करना है, जिनसे उनके रहन-सहन पर अच्छा असर पड़ेगा।

तमिल नाडु ने पिछले 10 वर्षों में विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन राज्य में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 करोड़ से अधिक व्यक्ति निर्धनता का जीवन जी रहे हैं, जहां खेती को सूखे का सामना करना पड़ता है और जातियों व स्त्री-पुरुषों के बीच विषमताएं कमज़ोर वर्गों को विकास कार्यों से दूर रखती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से संपूर्ण राज्य में निर्धनतम व्यक्तियों के रहन-सहन को बेहतर बनाना है, जिनमें विकलांग और अत्यंत असहाय व्यक्ति शामिल हैं, जैसे बेसहारा, विधवाएं, परित्यक्त महिलाएं, बुजुर्ग, अनाथ और आदिवासी।

विश्व बैंक के कंट्री डाइरेक्टर माइकेल कार्टर ने कहा है: *"इस परियोजना से ग्रामीणों तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के बीच निर्धनता कम करने को लक्षित तमिल नाडु सरकार की रणनीति को मदद मिलेगी, जो अधिकांश विकास-कार्यों की पहुंच से परे हैं। एक ओर, निर्धन महिलाओं की अधिकारिता तथा, दूसरी ओर, गांवों में उनके लिए आजीविका के व्यावहारिक अवसरों के सृजन के बीच सांकेतिक संबंध पर बल देना ज़रूरी है। ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम* या पुत्त वरू का *यही उद्देश्य है।"*

इस परियोजना के तीन घटक *(कंपोनेंट)* इस प्रकार हैं:-

- *ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम:* इस घटक के अंतर्गत सतत आधार पर सामुदायिक संगठनों की मदद और इनके विकास की व्यवस्था है, जिससे रहन-सहन में सुधार होगा। नियोजन और कोष के प्रबंध के साथ-साथ निवेश के लिए संसाधनों तक पहुंच बनाने में समुदायों की मदद की जाएगी। महिलाओं और बेरोज़गार युवकों जैसे अत्यंत निर्धन व्यक्तियों को उत्पादक निवेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे रोज़गार तथा आमदनी के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

- *ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को ज़िला और राज्य-स्तर पर समर्थन:* ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को स्थानीय और राज्य-स्तर पर मिलने वाली सहायता इसकी सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण होगी। परियोजना के इस घटक से दोनों ही स्तरों पर ग्रामीण संस्थाओं की सहायता के लिए कुशल कर्मचारियों और एजेंसियों का विकास करने में मदद मिलेगी।

- *परियोजना प्रबंध:* यह घटक राज्य व ज़िला-स्तर पर परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच तालमेल स्थापित करने के साथ-साथ इन्हें क्रियान्वित और मॉनिटर करने में सहायक होगा।

विश्व बैंक की एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री मीना मुंशी ने कहा है: *''यह परियोजना तमिलनाडु के मौजूदा कार्यक्रमों के साथ-साथ विकास के बारे में समुदाय-प्रेरित दृष्टिकोण जैसे अच्छे कार्य-व्यवहार पर आधारित है। इसमें निर्धन जनता को नियोजन और उसके रहन-सहन को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों पर क्रियान्वयन के केन्द्र में रखा गया है। इस परियोजना में निर्धनतम और कमज़ोर समुदायों के बीच सामाजिक पूंजी के निर्माण तथा संसाधनों के आधार के गठन के माध्यम से निर्धनता कम करने पर ध्यान दिया गया है। इस दृष्टिकोण में स्थानीय संगठनों और ग्रामीण स्वशासन को शामिल करने पर बल दिया गया है।''*

विश्व बैंक की ऋण मुहैया कराने वाली संस्था *इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए)* से मिलने वाले इस ऋण पर 0.75 प्रतिशत का सरचार्ज देय है। इसका पुनर्भुगतान दस वर्ष बाद शुरू होगा, जिसे 35 वर्षों में पूरा किया जाएगा।

#####

भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए
कृपया वेबसाइट *http://www.worldbank.org/in* देखें।